6/4/26	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से [illegible] मामला [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] से [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो। आदेश [illegible] गया।

(हस्ताक्षर)

उप[illegible]री
कसैली ([illegible])

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास
उनवान

परमानन्द पुत्र हीरा उम्र 100 साल जाति माली निवासी झील का हार गुर्जर कोलानी करौली तहसील करौली जिला करौली राज0

——वादी

बनाम

1. महीपत पुत्र जयसिंह उम्र 50 साल
2. सन्तो स्त्री महीपत उम्र 45 साल
3. शेरू उम्र 18 साल
4. भूरा उम्र 20 साल
5. हेमराज उम्र 25 साल

(3–5) पिसरान महीपत
(1–5) जाति गुर्जर निवासी झील का हार करौली जिला करौली राज0

6. भूरा पुत्र नामालूम उम्र 35 साल
7. जितेन्द्र गुर्जर पुत्र जयराम गुर्जर
8. जयराम गुर्जर पुत्र नामालूम गुर्जर

(6–8) पिसरान स्व0 सोहनलाल जाति माली निवासी जगदम्बा कोलोनी करौली तह.करौली राज0

9. कन्हैया उम्र 25 साल
10. मानसिंह उम्र 23 साल
11. दीपक उम्र 20 साल

(9–11) पिसरान सोहनलाल जाति माली निवासीयान जगदम्बा कोलोनी करौली तहसील करौली जिला करौली राज0

12. ज्योति उम्र 26 साल
13. नैना उम्र 23 साल
14. सब्बो उम्र 19 साल
15. राजकुमारी उम्र 30 साल

(13–15) पुत्रीयान सोहनलाल जाति माली निवासीयान जगदम्बा कोलोनी करौली तहसील करौली जिला करौली राज0

16. गीता उम्र 40 साल पुत्री मन्नू पत्नी खिलाडी जाति माली नि.नौल के वाग के पास मुरलीपुरा करौली राज0
17. बबली उम्र 35 साल पुत्री मन्नू पत्नी जगदीश जाति माली हाल निवासी अगोला करौली तह.करौली
18. पिंकी उम्र 20 साल पुत्री मन्नू पत्नी हैमराज जाति माली निवासी करौली हाल निवासी अगोला करौली तह.करौली राज0
19. रूपवाई पुत्री मन्नू उम्र 30 साल जाति माली निवासी करौली हाल वासी अंगोला करौली तहसील करौली जिला करौली राज0
20. लैण्डहोल्डर जरिए – तहसीलदार, तहसील करौली जिला करौली राज0

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा तहत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 16/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री दिनेश चंद बंसल, एडवोकेट मिनजानिव मुदई रूबरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण 151 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है। तहसीलदार, करौली को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त रिपोर्ट के आधार उक्त खसरा नंबरान में धारा 177 आर टी एक्ट के तहत पृथक से प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 6/4/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली
(उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0))

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बज़ह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली
(उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0))

नोट:–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0ः—16/16 तारीख रजुः—3.5.16

उनवान

परमानन्द पुत्र हीरा उम्र 100 साल जाति माली निवासी झील का हार गुर्जर कोलानी करौली तहसील करौली जिला करौली राज0

—वादी

बनाम

1. महीपत पुत्र जयसिंह उम्र 50 साल
2. सन्तो स्त्री महीपत उम्र 45 साल
3. शेरू उम्र 18 साल
4. भूरा उम्र 20 साल
5. हेमराज उम्र 25 साल

(3–5) पिसरान महीपत

(1–5) जाति गुर्जर निवासी झील का हार करौली जिला करौली राज0

6. भूरा पुत्र नामालूम उम्र 35 साल
7. जितेन्द्र गुर्जर पुत्र जयराम गुर्जर
8. जयराम गुर्जर पुत्र नामालूम गुर्जर

(6–8) पिसरान स्व0 सोहनलाल जाति माली निवासी जगदम्बा कोलोनी करौली तह.करौली राज0

9. कन्हैया उम्र 25 साल
10. मानसिंह उम्र 23 साल
11. दीपक उम्र 20 साल

(9–11) पिसरान सोहनलाल जाति माली निवासीयान जगदम्बा कोलोनी करौली तहसील करौली जिला करौली राज0

12. ज्योति उम्र 26 साल
13. नैना उम्र 23 साल
14. सब्बो उम्र 19 साल
15. राजकुमारी उम्र 30 साल

(13–15) पुत्रीयान सोहनलाल जाति माली निवासीयान जगदम्बा कोलोनी करौली तहसील करौली जिला करौली राज0

16. गीता उम्र 40 साल पुत्री मन्नू पत्नी खिलाडी जाति माली नि.नौल के वाग के पास मुरलीपुरा करौली राज0
17. बबली उम्र 35 साल पुत्री मन्नू पत्नी जगदीश जाति माली हाल निवासी अगौला करौली तह. करौली
18. पिंकी उम्र 20 साल पुत्री मन्नू पत्नी हैमराज जाति माली निवासी करौली हाल निवासी अगौला करौली तह.करौली राज0
19. रूपवाई पुत्री मन्नू उम्र 30 साल जाति माली निवासी करौली हाल वासी अंगोला करौली तहसील करौली जिला करौली राज0
20. लैण्डहोल्डर जरिए — तहसीलदार, तहसील करौली जिला करौली राज0

—–प्रतिवादीगण

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

दावा बाबत बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा तहत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

—::निर्णय::— दिनांक :— 6/4/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 5697 रकवा 12 विस्वा एवं खसरा नंबर 5698 रकवा 1 वीघा 9 विस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 2 वीघा 1 विस्वा स्थित कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 9 करौली तहसील करौली जिला करौली राज0 मे स्थित है। जो मुझ वादी परमानन्द व स्व0 मन्नू पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी करौली की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त की चली आ रही है। जमाबंदी संवत 2068—2071 की प्रमाणित प्रति लिपि एवं खसरा गिरदावरी संवत 2068—2071 की प्रमाणित व प्रतिलिपि एवं नक्शा राजस्व सीट की प्रमाणित प्रतिलिपि बादपत्र के साथ प्रस्तुत है। मन्नू पुत्र रामचरण वादी के सह खातेदार का स्वर्गवास हो गया है उसके पुत्र सोहनलाल व रामराज का स्वर्गवासी भी हो चुका है। मन्नू की लडकी गीता, बबली, पिंकी, रूपवाई, है एवं मन्नू के लडके सोहनलाल के पुत्र कन्हैया मानसिंह, सब्वों व राजकुमारी है। नैना एवं रामरज निसंतान स्वर्गवासी हुआ है। इस प्रकार मन्नू के वारिसान को इस वादपत्र में प्रतिवादी नंबर 9 लगायत 19 है। प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 8 जिनके हक में विवादित आराजीयात के किसी प्रकार के रजिस्टर्ड हस्तान्तरण पत्र नही है। फिर भी उक्त प्रतिवादीगण नंबर 1 लगायत 8 माह फरवरी 2016 मे वादी के संयुक्त कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने लगे है। ये प्रतितवादीगण अपने आपको वादी के सह खातेदार मन्नू से भूमि खरीदना कह रहे हैं। और अनाधिकार निर्माण दिनांक 25—2—2016 से विवादित भूमि में कर रहे है। इसलिये इनको पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। वादपत्र के पैरा नंबर 1 में दर्ज आराजीयात का वादी एवं स्वर्गीय मन्नू पुत्र रामचन्द्र एवं मन्नू की संतानों के मध्य बंटवारा नही हुआ है। जो अविभाजित चली आ रही है। इन आराजीयात में मुझ वादी का 1/2 हक हिस्सा है। संयुक्त खातेदारी अधिकार है एवं मन्नू पुत्र रामचन्द्र व उसकी संतानों का

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

1/2 हिस्सा हक हकूक संयुक्त खातेदारी अधिकार है। सबूतन जमाबंदी रिकोर्ड ऑफ राईटस की प्रति पेंश की है। भूमि वादग्रस्त अविभाजित है। पक्षकारान के मध्य वाई मीटस एण्ड बाउण्डस विधिवत तौर पर बंटवारा नही हुआ है। कानूनन बंटवारा कराने का वादी अधिकारी है। प्रतिवादी मन्नू स्वर्गवासी हो चुका है उसके दोनों पुत्र स्वर्गवासी हो गये है। प्रतिवादी नंबर 9 लगायत 19 से वादी ने वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा करने को महा जनवरी 2016 में कहा तब प्रतिवादीगण ने कहा कि हम बंटवारा नही करेंगे और बंटवारा करने से साफ इंकार कर दिया और बंटवारा करने कराने से टालमटोल कर दी और माह जुलाई 2016 में विवादित आराजी में वादी ने फसल बाजरा काश्म की है और अब फसल गेहूं व सरसों व सब्जी फूलफल रही है। वादी विवादित आराजी का प्रतिवादी नंबर 9 लगायत 19 से विधिवत बंटवारा कराने और अपना 1/2 हिस्सा विधिवत विधि अनुसार नियमानुसार सेपरेट कराने का वाहिद कब्जा बनाये रखने का अधिकारी है। इसलिए वादी वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा कराने का अधिकारी है वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा वाद पेश करना लाजिम आया है। प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 8 जाति से गुर्जर है वादी के लिए अजनबी व्यक्ति है और वह अपने आपको भूमि का क्रेता कह रहे है। और उनके पक्ष में भूमि खरीदने का कोई राजिस्टर्ड दस्तावेज नही है। फिर भी वह इस कृषि भूमि के कुछ माह फरवरी 2016 से बिना आवासीय प्रयोजन भूमि परिवर्तित कराये वगैर निर्माण कार्य कर रहे है। वादी के मना करने पर प्रतिवादीगण आमादा फिसाद हो रहे है। प्रतिवादीगणे को उक्त आराजीयात में वैधरू॰ से निर्माण करने का विधिक आधिकार नही है। प्रतिवादीगण के पक्ष में कोई रजिस्टर्ड हस्तान्तरण पत्र नही है। और प्रतिवादीगण नंबर 1 लगायत 8 अजनबी व्यक्ति होने से दीगर जाति के होने से बिना न्यायालय से बंटवारा कराये वगैर आराजी में प्रवेश करने का भी अधिकार नही है। वादी ने प्रतिवादीगण से निर्माण नही करने को 25-2-2016 के दिवस कहा, तब प्रतिवादीगण वादी से झगडा फिसाद करने पर आमादा हो गये। प्रतिवादीगण की यह कार्यवाही ही अनाधिकार है जिससे हक हकूक वादी खातेदारी अधिकार पर आघात है। प्रतिवादीगण को निर्माण करने

अधिकारी
कठोली (अ०)

का वादी के संयुक्त कब्जे उपयोग उपभोग में व्यवधान करने का अधिकार नही है। प्रतिवादीगण की इस अनाधिकार कार्य से वादीगण को अपूर्णीय क्षति है औ रवेजा मुकदमें में बाजी बढी जावेगी। इसलिये न्यायाहित में प्रतिवादीगण को आराजीयात में निर्माण नही करने को कराने को वादी के कब्जे व उपयोग उपभोग में व्यवधान नही करने कराने को एंव विवादित आरजीयात के संबंध में बिना बंटवारा कराये हस्तान्तरण दस्तावेज तैयार नही करने व कराने को पंजीयन नही कराने को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। विनाय दावा माह जनवरी 2016 में वादी द्वारा प्रतिवादीगण वारिसान स्व0 मन्नू पुत्र रामचरण से बंटवारा करने की कहने पर उनके द्वारा बंटवारा करने से इंकार करने पर एवं माह फरवरी 2016 में प्रतिवादीगण नंबर 1 लागयत 8 द्वारा अनाधिकार निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर दिनांक 25–2–2016 के दिवस वादी द्वारा निर्माण नही करने की प्रतिवादीगण से कहने पर और प्रतिवादीगण द्वारा वादी से आमादा फिसाद होने पर निर्माण कार्य नही रोकने पर पैदा हुई है। दावा अंदर मियाद प्रस्तुत है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है प्रतिवर्ष जिन्स पैदा होती है सबूतन जमाबदी व गिरदावरी पेश है। व वादग्रस्त भूमि कस्बा करौली तहसील करौली में स्थित है तथा फरीकेन मुकदमा कस्बा करौली के स्थायी निवासी है। इसलिये न्यायालय हाजा को वादपत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार हासिल है। अंत में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया।

न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.1.2026 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर सरकार पैरोकार को बंटवारा स्कीम हेतु सरकार परौकार को लिखे जाने पर सरकार पैरोकार तहसीलदार (भू.अभि.), करौली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 13.02.2026 में अवगत करवाया है कि कस्बा करौली के खसरा नंबर 5697 में मौके पर आबादी मकानात बने होना साबित है और तहसीलदार, करौली से पुनः रिपोर्ट तलब किये जाने पर तहसीलदार,

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

करौली से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 23.03.2026 में अवगत करवाया है कि खसरा नंबर 597 व 5698 में सन् 2012 में साईट प्लान बनवाकर श्री देव जीतू नगर नाम से प्लांटिग की जा चुकी है। जिनमें अधिकतर भूखण्डों का बेचान जरिये इकरारनामा किया जाना बताया है तथा कुछ भू–खण्डों में मौके पर कच्चे–पक्के निर्माण मौजूद है होने के कारण मौका अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार किया जाना संभव नहीं है।

बहस वकील वादी व सरकार पैरोकार सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस वकील वादी द्वारा कथन किया है कि आराजी खसरा नंबर 5697 व 5698 कस्बा करौली का बंटवारा हिस्सानुसार प्रतिवादी नंबर 9 ता 19 से कराया जावे। अंत दावा वादी ड्रिकी किया जावे।

सरकार पैरोकार का बहस में कथन है कि कस्बा करौली के खसरा नंबर 5697 में मौके पर आबादी मकानात बने होना साबित है और खसरा नंबर 597 व 5698 में सन् 2012 में साईट प्लान बनवाकर श्री देव जीतू नगर नाम से प्लांटिग की जा चुकी है। जिनमें अधिकतर भूखण्डों का बेचान जरिये इकरारनामा किया जाना बताया है तथा कुछ भू–खण्डों में मौके पर कच्चे–पक्के निर्माण मौजूद है होने के कारण मौका अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार किया जाना संभव नहीं है।

बहस वकील वादी व सरकार पैरोकार का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के कस्बा करौली के खसरा नंबर 5697 में मौके पर आबादी मकानात बने होना साबित है और खसरा नंबर 5697 व 5698 में सन् 2012 में साईट प्लान बनवाकर श्री देव जीतू नगर नाम से प्लांटिग की जा चुकी है। जिनमें अधिकतर भूखण्डों का बेचान जरिये इकरारनामा किया जाना बताया है तथा कुछ भू–खण्डों में मौके पर कच्चे–पक्के निर्माण मौजूद है होने के कारण मौका अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार किया जाना संभव नहीं होना सरकार पैरोकार से प्राप्त रिपोर्ट से साबित है। अतः दावा वादी चलने योग्य नहीं खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण 151 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है। तहसीलदार, करौली को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त रिपोर्ट के आधार उक्त खसरा नंबरान में धारा 177 आर टी एक्ट के तहत पृथक से प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ....6/4/26.... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली।